

धायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फुर्द अहकाम

सु. नं० ५३/१५ तारीख २५.८.१५

उनवान - शमेश्वर बनाम प्रकाश बने

प्रार्थना पत्र अस्थायी निवेद्याज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री हंसराज इन्टरनल. ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निवेद्याज्ञा पेश किया। शपथपत्र व दस्तखिजो का अद्य लौकन किया गया। वादी वकील की एक तरफा बहस सुनी गयी। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः मैं सापठ को आगामी सुनवाई तिथि तक आस्थाई निवेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम में सापठ सुद की श्रमि स्थ. नं० ६९७ रकबा ०.१५ है. स्थ. नं० ७०५ रकबा ०.१३ है। श्रमि पर निमिठा कार्य नहीं करें। प्रार्थनापत्र दर्जरजिस्टर कर अ. प्रार्थीगणों को जरिये नोटिस से तलब कर दिनांक २५.८.१५ को पेश हो।

1842-56
3.8.15

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करीली)

२०/८/१५ प्रसापली वेद्य इन्डी। प्रार्थी नं २३।२।५ द्वारा संयोजी तालिल की गयी है। अन्य की गार्ड के द्वारा की गयी है। तहसीलदार की तामिल होकर जापू इन्डी सूचना उपप नही। नं १०।२।१०७ से पधरि है। श्राद्ध दिनांक २-९-१५ को पेश हो।

२१/८/१५ प्रार्थी वकील उपप। अ. प्रार्थीगण नं। नं। ५ की ओर से श्री मनोज कुमार द्वारा नं. १०० ने कालतनामा पत्र किया। प्रार्थी नं। १५ बाप उद रूपन। उपप नही। इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्य नहीं समल में लगी जाती है। वास्तुजबाब दिनांक २०-१०-१५ को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

26.4.17

वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस चुकी गई। अर्थात् वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दिनांक 3.8.15 को जारी की गई अंतरिम आस्थापित निवेदन को तादावा फैसला कन्फर्म किये जाने का निवेदन किया। अर्थात् वकील ने जबकि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित इलाकीयात पैतृक सम्पत्ति है। साबिक खसरा नम्बर 40) खसरा एक बीघा 15 बिस्वा के 2/3 हिस्से पर 'ब्रजजो' के जमाने से सोढा साल से काकिल-पले झारे हैं। खसरा गिरदावरी सं. 2003 से 203) तक में कब्जा साबित है। इसलिए प्रार्थना पत्र साथल खारिज फाया जाये। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद मनन बहस एवं अवलोकन दस्तावेजों से उभय पक्ष का (न) को तादावा फैसला रिफाई एवं मोके की यथास्थित बनीये रखने के लिए पाबन्द किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि गाम भेसा पट्टी खुई तटलील टोडाभीम स्थित ग्राम सं. नं. $\frac{697}{0.15}, \frac{705}{0.13}$ पर रिफाई एवं मोके की स्थिति यथावत बनीये रखने हेतु दावा के फैसला तक पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल श्रुमार होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 26.4.17 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)